क्र.स.2

राजस्थान सरकार

उद्योग (ग्रुप–1) विभाग

कमांक : प- 6(1) उद्योग/1/2011 दिनांक : 21/2/2011

:: आदेश ::

राज्य में रंगाई छपाई उद्योगों का पंजीयन कुछ स्थानों पर प्रतिबंधित किये जाने के पूर्व प्रसारित निर्देश दिनांक 13.10.1982 एवं तदोपरान्त समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये दिशा–निर्देशों का अतिकमण करते हुए सम्पूर्ण राज्य में रंगाई छपाई उद्योगों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उद्यमी ज्ञापन भाग–I एवं II की अभिस्वीकृतियां जारी किये जाने के संबंध में नियमानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे :

1. उद्यमी ज्ञापन भाग–I :

उद्यमी ज्ञापन भाग–I जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय में प्राप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर अभिस्वीकृति जारी की जावे। ऐसी स्वीकृति जारी करने हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल के अनापत्ति प्रमाण पत्र/प्रदूषण ना फैलाने संबंधी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

2. उद्यमी ज्ञापन भाग–II :

भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उद्यमी ज्ञापन भाग–II हेतु निर्धारित प्रपत्र में उद्यमी द्वारा इस आशय की घोषणा (अण्डरटेकिंग) की जाती है कि उसने केन्द्र/राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग से उद्यम स्थापना हेतु अनुमोदन/सहमति/लाईसेंस/परमिट प्राप्त कर लिया है। अतः उद्यमी ज्ञापन भाग–II कार्यालय में प्राप्त होने पर उसकी अभिस्वीकृति उक्त अधिनियम के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसी अवस्था में जारी की जावे जब उद्यमी द्वारा राजस्थान राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल का वैद्य अनापत्ति प्रमाण पत्र/प्रदूषण ना फैलाने संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत कर दी हो।

उक्त आदेश पर्यावरण विभाग द्वारा पत्रावली कमांक प.2(29)पर्या/2010 पर दिनांक 8.2.2011 को प्रदत्त सहमति के कम में जारी किये जाते हैं।

कृपया उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

उप शासन सचिव, उद्योग

क्रमांक :   दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. संयुक्त विकास आयुक्त, कार्यालय विकास आयुक्त (MSME), भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110108
2. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, झालाना डूंगरी, जयपुर।
3. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान–जयपुर।
4. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्त।
5. सहायक निदेशक/जिला उद्योग अधिकारी, जिला उद्योग उपकेन्द्र, समस्त।
6. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव, उद्योग